

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4072/2026**

राम मनोरथ एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- पवन कुमार शर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथपत्र तथा सूचनाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री धनंजय कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा को अभिलेख पर लिया जाता है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 134/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 326(छ), 352, 351(3), 324(4), 115(2), थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच के अंतर्गत, आवेदकों को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा वे दिनांक 16.04.2026 से कारागार में निरुद्ध हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त वीरेन्द्र एंराज कुमार को इस न्यायालय द्वारा दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 3857/2026 में पारित आदेश दिनांक 8.6.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। (आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त जमानत आदेश को अभिलेख पर लिया जाता है।) इन परिस्थितियों में आवेदकगण भी जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सह-अभियुक्त वीरेन्द्र एंराज कुमार को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-अभियुक्त वीरेन्द्र एंराज कुमार को प्रदान किए गए जमानत आदेश, समानता के आधार तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं इस मत पर हूँ कि आवेदकगण जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. आवेदकगण- **राम मनोरथ एवं भगौरी** -को उपरोक्त मुकदमा अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदकगण ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे, जो उस अपराध के समान हो, जिसके किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदकगण मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देंगे, जिससे वह उक्त तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदकगण इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेंगे। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदकगण जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को आवेदकगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष (क) मामला प्रारंभ किए जाने, (ख) आरोप विरचित किए जाने एवं (ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकगण की अनुपस्थिति साशय या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 10, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।